कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 427 / 12—1 दिनांक 07/ 08 /2020

डायरी संख्या 429
फाइल नं० 336
दिनांक 31-8-2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0—कीर्तिनगर।

विषय :— जनपद—टिहरी गढवाल के राज्य योजना के अन्तर्गत सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूपानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.8735 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/29926/2017 गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक—08बी/यू0सी0पी0/06/116/2019/एफ0सी0/2682 दिनांक 24—02—2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तो के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त संख्या—01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2- शर्त संख्या—02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

3- शर्त संख्या—03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.747 हे0 गैर वानिकी भूमि वनाच्छादित वन भूमि ग्राम—धारी (भ्यूपानी) तहसील कीर्तिनगर की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा जहॉं तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।
शर्त संख्या—3 (ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम—झनाऊ की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 5.747 हे0 है को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं Notification करने पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताबों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

4- शर्त संख्या—04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीककरण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु मु0 19,37,796.00 धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—क—972/3—5—2(II) दिनांक 21—11—2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020—21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु धनराशि का विवरण —

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि —	2.8735 X 2 =5.747 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0—	3,37,184.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि—	5.747 X 3,37,184.00=**19,37,796.45**
	या **19,37,796.00**

उ0स0अभि0 (वन)
EE
21/08/2020

5- **शर्त संख्या–05** के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2.8735 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 24,28,108.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.40 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठः लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	2.8735 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	2.8735 हे0 X 8,45,000.00 = 24,28,107.50

शर्त संख्या– 05(ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- **शर्त संख्या–06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 162 वृक्षों से अधिक न हो तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

7- **शर्त संख्या– 07**. के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षायरोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

8- **शर्त संख्या–08** के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- **शर्त संख्या–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायेगा। इस आशय का प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करना होगा।

10- **शर्त संख्या–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11- **शर्त संख्या–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी0डब्लू0एल0डब्लू0/एन0बी0डब्लू0एल0/एफ0सी0/आर0ई0सी0 की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12- **शर्त संख्या–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

13- **शर्त संख्या–13** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14- **शर्त संख्या–14** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

15- बिन्दु संख्या–15 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति की जायेगी; जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

16- बिन्दु संख्या–16 के अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि से तैयार कर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।

17- शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18- शर्त संख्या–18 के अनुपलान में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20- बिन्दु संख्या–20 के अनुपालना में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

21- बिन्दु संख्या–21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

22- बिन्दु संख्या–22 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक–2379/FP/UK/ROAD/29926/2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुयें सभी शर्तो की अनुपालना पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।